

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज अपील 14/2018 रसीद बनाम सरकार
17.05.18	<p>आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत तह0 कैम्प वैर में पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" की भावना के मध्येनजर पक्षकारान की समझाईश की गई। अपीलान्ट द्वारा जाहिर किया कि उसके द्वारा तत्समय ही कब्जा छोड़ दिया है। अपीलान्ट का किसी भी सरकारी भूमि पर अब कोई कब्जा नहीं है। और न ही भविष्य में कोई कब्जा करेगा। अपने कथनों की ताईद में अपीलान्ट द्वारा शपथ-पत्र पेश किया गया। पटवारी हल्का द्वारा भी मौके से अतिक्रमण हटाया जाना एवं रकवा खाली होना अवगत कराया गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया। लोक अदालत की भावना के मध्येनजर अपीलान्ट को भविष्य में किसी भी सरकारी रकवे पर अतिक्रमण न करने की समझाईश की गई। ऐसी स्थिति में चूंकि अपीलान्ट ने अतिक्रमण हटा लिया है और भविष्य में अतिक्रमण न करने हेतु वचनबद्ध हुआ है। तो लोक अदालत की मंशा को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2018 केवल 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा की हद तक अपास्त किया जाता है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। साथ ही भविष्य में यदि अपीलान्ट की ओर से सरकारी रकवे पर अतिक्रमण के संदर्भ में पुनर्नवृत्ति की जाती है तो तहत अदालत अपीलाधीन निर्णय की सम्पूर्ण पालना के साथ-साथ नियमानुसार 91 एल.आर.एक्ट. के अंतर्गत अपीलान्ट के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के लिए स्वतन्त्र रहते हैं।</p> <p>आज्ञा सुनाई गई।</p> <p style="text-align: right;">अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर</p>